

**एसीपी / एमएसीपी के लिए
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीपद.....

एवं पदस्थापन स्थान..... ।

1. अधिकारी / कर्मिक के विरुद्ध CCA (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 16 व 17 के तहत कोई विभागीय जॉच/फौजदारी जॉच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया है। (इसके विपरीत स्थिति में पूर्ण विवरण अंकित करें)
2. कार्मिक के पिछले 07/09 वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही है तथा ACP/MACP की सेवा अवधि में इनकी सेवाएँ सन्तोषजनक है।
3. कार्मिक द्वारा पूर्व में पदोन्नति का परित्याग नहीं किया है।
4. इनके विरुद्ध पूर्व में अधिक भुगतान की कोई वसूली बकाया नहीं है।
5. ACP/MACP प्रस्तावित तिथि तक की सेवाएँ सेवा पुस्तिका में निरन्तर प्रमाणित है।
6. कार्मिक विभाग की अधिसूचना- DOP/A-II/95 दिनांक 20.06.2001, 23.7.2003 तथा 13.08.2004 के तहत 01.06.2002 या इसके पश्चात् दो से अधिक संतान न हाने के संबन्ध में सपथ पत्र अधिकारी से प्राप्त कर लिया है व प्रकरण के साथ संलग्न है।
7. आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की जॉच सेवा पुस्तिका एवं विभागीय अभिलेखों से कर ली गई है, दिये गये तथ्य अभिलेखों के अनुरूप हैं। ACP/MACP स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
मय सील